



# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

## Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in

Tel. : 0141-2722520

क्रमांक: प.8(106)/RSSB/प.अ./ शीघ्रलिपिक फेज-II / 2024 /

दिनांक:

### विज्ञापित

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के विज्ञापन संख्या 07/2024 क्रमांक 2204 दिनांक: 26.02.2024 के द्वारा शीघ्रलिपिक/निजी सहायक ग्रेड-II संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। यह परीक्षा दिनांक 05.10.2024 को आयोजित की गई थी, के परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भाग-द्वितीय (फेज-II) की परीक्षा निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जा रही है:-

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा दिनांक	पारी (प्रतिदिन)	परीक्षा का समय	परीक्षा आयोजन हेतु जिला मुख्यालय
1.	शीघ्रलिपिक/निजी सहायक ग्रेड-II संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा.2024 भाग-द्वितीय (फेज-II) (टंकण व आशुलिपि परीक्षण)	19.03.2025 (बुधवार)	I	प्रातः 9.30 बजे से 11.00 बजे तक	जयपुर
			II	अपरानह 1.00 बजे से 2.30 बजे तक	
			III	सायं 4.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक	
		20.03.2025 (गुरुवार)	I	प्रातः 9.30 बजे से 10.50 बजे तक	
			II	अपरानह 1.00 बजे से 2.20 बजे तक	

### परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र हेतु निर्देश :-

- बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे। उक्त परीक्षाओं के "प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र" अभ्यर्थी दिनांक 17.03.2025 से स्वयं की SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। अभ्यर्थी अपने प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र वेबसाइट <https://recruitment.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

डाउनलोड करने के स्टेप निम्न प्रकार है :-

- Enter Url <https://recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard>
- Click on Get Admit Card Option.
- Click on Get Admit Card Option of Recruitment to download the admit card.
- Enter Your Application number and DOB

### परीक्षार्थी हेतु सामान्य निर्देश :-

- टंकण एवं आशुलिपि परीक्षण के संबंध में विस्तृत संशोधित दिशा निर्देश राजकाज 13884454 दिनांक: 28.02.2025 एवं Mock Test हेतु लिंक राजकाज 13961587 दिनांक 05.03.2024 द्वारा बोर्ड की वेबसाइट [www.rssb.rajasthan.gov.in](http://www.rssb.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध करवा दिये गये हैं।
- उपरोक्त क्र० स० 2 में अंकित विस्तृत दिशा निर्देशों में टंकण एवं आशुलिपि परीक्षण के संबंध में कोई शिकायत होने पर परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के भीतर लिखित में बोर्ड कार्यालय में दिये जाने का प्रावधान किया गया था जिसे संशोधित किया जाता है। संशोधित प्रावधान के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को टंकण एवं आशुलिपि परीक्षण के संबंध में कोई शिकायत हो तो परीक्षा के दौरान ही केन्द्राधीक्षक/अभिजागर को तत्काल अवगत कराये। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत/अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.12 17:54:28 IST  
Reason: Approved



4. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
5. रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर/खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।
6. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घण्टे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से 30 मिनट पूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जावेगा एवं इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें।
7. परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जावेगी, आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, मतदाता पहचान-पत्र में से कोई एक से मिलान किया जावेगा। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5cm×2.5cm साईज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो (जो Merge, Morphed एवं Tampered किया हुआ न हो तथा एक माह से अधिक पुराना न हो ) एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पैन, पेन्सिल और रबर साथ लेकर आवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।
8. परीक्षा केन्द्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी (Frisking Agency/Biomatrics Device) से Face Recognition हो जाने एवं सतर्कता दल द्वारा जाँच के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।
9. परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन, पेन्सिल एवं रबर के अलावा किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।

#### परीक्षार्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ड्रेसकोड :-

9. ड्रेस कोड एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट पर जारी विस्तृत विज्ञप्ति अवश्य देखें। ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
  - पुरुष अभ्यर्थी आधी/पूरी आस्तीन के शर्ट/टी-शर्ट, कुर्ता पायजामा, पैंट पहन कर आयेंगे। जीन्स पहन कर आने की अनुमति नहीं होगी।
  - महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी/पूरी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज पहन कर एवं बालों में साधारण रबड बैण्ड लगा कर आवेंगी।
  - परीक्षार्थी पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर आ सकते हैं किन्तु अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
  - परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूडियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूडियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आयेंगे।
  - परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। हवाई चप्पल(स्लीपर), सैण्डल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने (Ankle) तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। मेटल चैन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी।
  - यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.12 17:54:28 IST  
Reason: Approved

- गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: प.27(14) गृह-1/2008 दिनांक 04.12.2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाये किन्तु कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर दो घन्टा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं यदि Frisking के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण (Suspected Device) ले जाना पाया जाये तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाये।

उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जावेगा।

**परीक्षा में नकल/अनुचित साधनों के उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु कठोर कानून :-**

10. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आवें तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) में संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरुद्ध, राज0 सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन करावास तक की सजा के प्रावधान हैं, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।

**परीक्षार्थी हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-**

11. परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केन्द्र के जिले से सम्बन्धित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियन्त्रण कक्ष, जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, से सम्पर्क किया जा सकता है
12. परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।

नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट [www.rssb.rajasthan.gov.in](http://www.rssb.rajasthan.gov.in) का नियमित रूप से अवलोकन करें।

(डॉ. बी. सी. बधाल)

सचिव

दिनांक:

क्रमांक: प.8(106)/RSSB/प.अ./शीघ्रलिपिक फेज-II / 2024 /

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ RSSB को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को बोर्ड की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराये।
2. रक्षित पत्रावली।

सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.12 17:54:28 IST  
Reason: Approved